न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
एरिया सिलिंग वाद संख्या–70/2008–09
कृष्णा झा बनाम महेश झा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
19/02/15	आदेश अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को इस वाद में सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने में असफल रहे। इस कार्रवाई में दिनांक–28.12.2012 को विस्तृत आदेश पारित किये जाने उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर से स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन की मॉग की गयी थी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के द्वारा पत्रांक–413 दिनांक–29.08.13 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि मूल एरिया सिलिंग वाद संख्या–17/05–06 में वर्णित भू–खण्ड जो मौजा कोर्थु थाना नम्बर–257 अंचल–घनश्यामपुर की भूमि है, जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल के क्षेत्राधिकार में अवस्थित भूमि है। उक्त परिस्थिति में अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के न्यायालय में दायर किया गया वाद उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की भूमि है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा मूल लैण्ड सिलिंग वाद संख्या–17/05–06 गलत रूप से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के न्यायालय में दायर किया गया था। दिनांक–04.07.2014 के आदेश के द्वारा आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपना पक्ष रखने का का निर्देश दिया गया। परंतु आवेदक द्वारा न तो कोई पक्ष रखा गया। पुनः दिनांक–	

31.10.2014 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया। परंतु आवेदक उपस्थित नही हुए। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर द्वारा अभिलेख संख्या–17/05–06 में दिनांक–10.09.2008 को पारित आदेश उनके क्षेत्राधिकार से परे भूमि से सम्बन्धित होने के कारण रद्द किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी की लगतार अनुपस्थिति के कारण उनके द्वारा दायर अपील आवेदन को भी खारिज किया जाता है। आवेदक यदि चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।